

RCMS

(4)

फर्द अहकाम

निर्दिष्ट
06/8/19

2019/00016

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी



राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

सिणधरी

धनाराम वल्लु वरकेंडागाम
जाट सरली हाल सिणधरी
घोसरीरा
नु. न.04 सन् 2019

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तानील में जारी हुए
18/7/19	<p>पटवारी हल्का <u>सिणधरी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2076 में मौजा <u>सिणधरी</u> के खसरा संख्या <u>61</u> रकबा <u>01-12</u> किस्म भूमि <u>घा.मु. गोयट</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर बन कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>06/8/19</u> को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> तहसीलदार सिणधरी</p>	<p>6/8/19</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। गैर सायल अनुपस्थित पटवारी हल्का उपस्थित गैर सायल नोटिस नामिल के बावजूद अनुपस्थित। गैर सायल की प्रतिकुली मानते हुए उनके खिलाफ एके तरफ कार्यवाही प्रमल के लाई जाकर,</p> <p style="text-align: right;"> जज</p>

पत्रावली केसल सुमार है। निधि
अलग से लिखा जाकर प्रस्तुत है।
निधि शुल्क न्यायालय के सुमाया
वाक्य पत्रावली केसल सुमार होकर
इफतर दारिद्र्य है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर